प्रेस विज्ञप्ति
जनपद मुरादाबाद

दिनांकः-23-11-2022

1-जान से मारने की नियत से हमला करने के 02 आरोपी गिरफ्तार, थाना बिलारीः-

अवगत कराना है कि दिनांक 22-11-2022 को वादी जसवंत सिंह पुत्र भीकम सिंह निवासी ग्राम उदरनपुर उर्फ वीरमपुर थाना बिलारी, मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र के साथ गाली गलौज करने व जान से मारने की नियत से फायर करने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-538/2022 धारा 307/504/506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 23-11-2022 को उ0नि0 श्री महेशचन्द्र थाना बिलारी द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्तगण 1- संजीव पुत्र स्योराज 2- राजेश पुत्र स्योराज सिंह निवासीगण ग्राम बीरमपुर थाना बिलारी जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त राजेश पुत्र स्योराज उपरोक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस बरामद किये गये जिसके आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0 539/2022 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

2-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 गिरफ्तार थाना सिविल लाईन्सः-

अवगत कराना है कि उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना सिविल लाईन्स द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त वाहिद पुत्र बदलू निवासी पुराना RTO आफिस चक्कर की मिलक थाना सिविल लाइन्स जिला मुरादाबाद को 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 01 कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना सिविल लाईन्स पर मु0अ0सं0 982/2022 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

3-मारपीट कर जानलेवा हमला करने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार थाना कुन्दरकीः-

अवगत कराना है कि दिनांक 10.10.2022 को वादी छोटे पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम ढकिया जुम्मा थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र के साथ मारपीट करना, जानलेवा हमला करना व वादी द्वारा विरोध करने पर वादी के घर में घुसकर गाली गलौच करते हुए मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कुन्दरकी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कुन्दरकी पर मु0अ0सं0 -222/2022 धारा 307,452,323,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 23.11.2022 को उ0नि0 अंकुर मलिक थाना कुन्दरकी द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त आकिल पुत्र छोटे ग्राम ढकिया जुम्मा थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

4-दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार थाना ठाकुरद्वाराः-

अवगत कराना है कि वादिनी निवासी थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0 520/2022 धारा- 376/506 भाद0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 23.11.2022 को व0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार उपाध्याय थाना ठाकुरद्वारा द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त रवि कुमार पुत्र जितेन्द्र सिंह निवासी ग्राम लालापुर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

5-थाना मझोला पुलिस ने युवती को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्म हत्या के लिये उकसाने के आरोपी को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 20.11.2022 को थाना मझोला क्षेत्रान्तर्गत एक बंद मकान में एक युवती का फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिला था। इस सम्बन्ध में वादी चरन सिंह पुत्र हरीसिंह निवासी कासमपुर जट थाना डिडौली जनपद अमरोहा की तहरीर बाबत वादी की पुत्री को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर आत्महत्या के लिये उकसाने जिससे वादी की पुत्री द्वारा आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में थाना मझोला पर मु0अ0सं0 971/22 धारा 306 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा उक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु थाना मझोला को निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सिविल लाईन्स के नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में थाना मझोला पुलिस द्वारा की गयी विवेचनात्मक कार्यवाही से अभियुक्त तारेश पुत्र रामगोपाल निवासी कासमपुरजट थाना डिडोली जनपद अमरोहा का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 22.11.2022 की रात्रि में थाना मझोला पुलिस द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्त तारेश पुत्र रामगोपाल नि0 कासमपुरजट थाना डिडोली जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

तारेश पुत्र रामगोपाल निवासी कासमपुरजट थाना डिडोली जनपद अमरोहा।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मृतका व तारेश दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। तारेश की गांव मे ही परचून व दूध की दुकान है मृतका अक्सर उसकी दुकान पर समान लेने आती रहती थी, दोनों का एक दूसरे से लगाव हो गया, दोनो एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे दोनों की पिछले 4-5 वर्षों से फोन व व्हाटसप के जरिये बातचीत होती रहती थी। तारेश ने ही मृतका को नया मुरादाबाद सेक्टर-13 मे किराये का कमरा दिलाया था जहां वह अकेली रहती थी और वह उससे मिलने उसी कमरे पर जाता रहता था। मृतका तारेश से शादी करना चाहती थी दोनों का एक ही गांव के होने की वजह से तारेश ने मृतका को शादी के लिये मना कर दिया था। तारेश की शादी दूसरी जगह से तय हो गयी थी, जिसका का मृतका काजल को पता चला तो वह तारेश से परेशान व नाराज रहने लगी। इसी कारण से मृतका काजल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 971/22 धारा 306 भादवि थाना मझोला जनपद मुरादाबाद

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि श्री अनंगपाल सिंह, थाना मझोला मुरादाबाद।

2-उ0नि0 जितेन्द्र कुमार, थाना मझोला मुरादाबाद।

3-का0 सन्दीप नागर, थाना मझोला मुरादाबाद।

4-का0 सौरभ नैन, थाना मझोला मुरादाबाद।